Government of Uttarakhand

उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों/ उद्यमियों आदि को विभिन्न औद्यानिक गतिविधियों हेतु प्रदान की जाने वाली राज सहायता का विवरण

निदेशालय

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा), उत्तराखण्ड।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों/उद्यमियों आदि को विभिन्न औद्यानिक गतिविधियों हेतु प्रदान की जाने वाली राज सहायता का विवरण
(उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड)

राज्य सैक्टर की योजनायें

क्र0 सं0	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये/संख्या/है0 में)
1	2	3	4	5
1	मधुमक्खी पालन	1. फलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए परपरागण एवं शहद उत्पादन हेतु 01 है0 क्षेत्र में 04 मौन बक्सों को रखा जाना।	रु0 350 प्रति बॉक्स	04 बॉक्स
		2. मौन बाक्स मौन कालोनियों का वितरण।	50%	रु0 800.00 प्रति व्यक्ति (10 मौनगृह/वंश)
		3. मौनपालन का 07 दिवसीय प्रशिक्षण	शतप्रतिशत	07 दिवसीय प्रशिक्षण पर रू0 350/प्रति प्रशिक्षणार्थी व्यय तथा अवशेष धनराशि रू0 700/ सीधे प्रशिक्षणार्थी के खाते में डाला जायेगा। (इस प्रकार कुल व्यय रू0 1,050 प्रति प्रशिक्षणार्थी)
2	उद्यानों की घेरबाड़ की योजना	जंगली जानवरों के बचाव हेतु उद्यानों की घेरबाड़ हेतु राजसहायता।	50%	घेरबाड़ हेतु 50 प्रतिशत राज सहायता के अन्तर्गत अधिकतम रू0 33,300/ प्रति है0 की दर फैन्सिंग निर्माण के लिये अनुदान को बढ़ाकर रू0 1.00 लाख प्रति है0 किया गया
3	बाजार हस्तक्षेप योजना	उद्यानपतियों से सी ग्रेड सेब, नाशपाती, माल्टा, गलगल आदि के सर्मथन मूल्य पर क्रय की व्यवस्था	लाभ/हानि रहित	–

क्र0 सं0	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये/संख्या/है0 में)
1	2	3	4	5
4	मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना	1. मशरुम उत्पादकों को पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट उपलब्ध कराना	50%	50 कुन्तल प्रति लाभार्थी
		2. स्पान (बीज) वितरण	50%	25 किग्रा स्पान प्रति लाभार्थी
		3. 07 दिवसीय प्रशिक्षण	निःशुल्क	07 दिवसीय प्रशिक्षण पर रू0 350/प्रति प्रशिक्षणार्थी व्यय तथा अवशेष धनराशि रू0 700/ सीधे प्रशिक्षणार्थी के खाते में डाला जायेगा। (इस प्रकार कुल व्यय रू0 1,050 प्रति प्रशिक्षणार्थी)
5	फसल बीमा योजना	औद्यानिक फसलों–सेब, आम, आड़ू, माल्टा, लीची, टमाटर, अदरक, आलू, फ्रैंचबीन एवं मिर्च का मौसम आधारित बीमा कराना।	प्रीमियम का 50%	कुल प्रीमियम में से कृषकों द्वारा 05 प्रतिशत प्रीमियम दिया जायेगा। शेष प्रीमियम केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 की भागेदारी के साथ वहन की जायेगी।
6	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में बेमौसमी सब्जी एवं मसाला उत्पादन की योजना	सब्जी एवं मसाला की खेती को बढ़ावा देने हेतु प्रदर्शन	निःशुल्क	0.1 है0 एवं रू0 300/प्रति फसल
7	अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में औद्यानिक विकास	1. व्यक्तिगत उद्यानों की स्थापना (क्षेत्र विस्तार)	50%	प्रति लाभार्थी 0.2 है0 से 2.0 है0 तक अधिकतम रु.5,000 प्रति है0
		2. आलू उत्पादन हेतु आलू बीज एवं निवेश उपलब्ध कराना	50%	प्रति लाभार्थी 0.1 है0 से 1.0 है0 तक अधिकतम रु.20,000 प्रतिहै0
8	मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में 30 प्रतिशत राज्यांश	पालीहाउस के अन्दर सब्जी एवं पुष्पों का उत्पादन करना।	80% (50% केन्द्रांश + 30% राज्यांश)	500 वर्ग मीटर
9	बोरबैल स्थापना की योजना	सिंचाई सुविधा हेतु कृषकों को बोरवैल स्थापना हेतु सहायता। (रू0 75,000/ केन्द्रांश + रू0 25,000/ राज्यांश प्रति इकाई)	रु0 1.0 लाख प्रति इकाई	01 इकाई
10	पालीहाउस के पालीथीन बदलाव की योजना	कृषकों के पॉच वर्ष से अधिक पुराने पालीहाउस की जीर्ण–शीर्ण पालीथीन बदलने हेतु सहायता	पॉलीथीन लागत रू0 50/वर्गमीटर का 75%	4000 वर्ग मीटर

क्र0 सं0	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये/संख्या/है0 में)
1	2	3	4	5
11	पौधरोपण की योजना	सरकारी आवासों, कार्यालयों, स्कूलों, कृषकों आदि को निःशुल्क फलपौध वितरण	शतप्रतिशत	कृषकों को 05 पौधे एवं अन्य स्थानों पर आवश्यकतानुसार
12	उत्तराखण्ड में बेमौसमी सब्जी उत्पादन	उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में बेमौसमी सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राजसहायता।	रू0 50,000 प्रति है0 का 75%	01 है0
13	फल पौधशालाओं की स्थापना	राज्य में छोटी (0.2 है0 से 1.0 है0 तक) नयी फल पौधशालाओं की स्थापना	रू0 15 लाख प्रति है0 का 50%	1.0 है0 हेतु राजसहायता रु0 7.50 लाख। छोटी पौधशाला हेतु अनुपातिक राजसहायता
14	जैविक बागवानी की खेती योजना	जनपद पिथौरागढ़ व चमोली में पायलट आधार पर जैविक बागवानी को बढ़ावा देना	रु0 20,000 प्रति है0 का 50%	1.0 है0
15	अखरोट एवं अन्य गिरीदार फलों के सर्वागीण विकास हेतु मिशन	राज्य में अखरोट, बादाम तथा पिकननट की खेती को बढ़ावा देने हेतु पौधशालाओं की स्थापना व क्षेत्रफल विस्तार हेतु राज सहायता उपलब्ध कराना	व्यक्तिगत क्षेत्रों हेतु रु0 15 लाख प्रति है0 का 50% एवं राजकीय क्षेत्रों हेतु 100% तथा क्षेत्रफल विस्तार हेतु रु0 60000 प्रति है0	1.0 है0 हेतु राजसहायता रु0 7.50 लाख। छोटी पौधशाला हेतु अनुपातिक राजसहायता
16	राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन	राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को बढ़ावा देना	निजी क्षेत्र के उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापना हेतु परियोजना लागत में तकनीकी सिविल कार्य व प्लान्ट मशीनरी का 50 प्रतिशत अनुदान	01 इकाई
17	मृदा प्रयोगशाला एवं परीक्षण कार्य की योजना	चौबटिया एवं श्रीनगर में मृदा प्रयोगशाला में कृषकों के भूमि के मृदा सैंपल का परीक्षण उपरान्त भूमि के मुख्य एवं सूक्ष्म तत्वों की कमी/अधिकता का आंकलन करना तथा आवश्यक खाद, उर्वरकों की संस्तुति करना।	राज्य सैक्टर में शतप्रतिशत	मृदा परीक्षण शुल्क प्रति सैंपल रु0 7 मुख्य तत्वों हेतु एव रु0 63 सूक्ष्म तत्वों हेतु कृषकों से लिया जायेगा
18	मसाला मिर्च को प्रोत्साहन देने हेतु योजना	प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त मसाला मिर्च (लाल मिर्च) की खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को प्रोत्साहन राशि देना	प्रोत्साहन राशि रु0 700 प्रति कु0	
19	वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना	राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना करना तथा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूहों को रोजगार मुहैया कराना	रु0 33,300 प्रति इकाई की लागत का 75%	01 इकाई
20	मिशन एप्पल योजना	प्रदेश में उच्च तकनीकी द्वारा सेब उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु उच्च उत्पादन वाली उन्नत प्रजातियों तथा क्लोनल मूल वृन्त के प्रयोग से सूक्ष्म सिंचाई सुविधा के साथ सुनियोजित बागवानी तकनीकी अपनाते हुए उच्च सघन रोपण को बढ़ावा देने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना। साथ ही क्लोनल रूट स्टॉक भी उपलब्ध कराया जायेगा।	रु0 12 लाख प्रति एकड़ का 80%	01 एकड़

जिला सैक्टर की योजनायें

क0 सं0	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये/संख्या/है0 में)
1	2	3	4	5
1	उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन/पौधालय विकास।	1. फल, पौध, सब्जी, बीज, आलू बीज के परिवहन पर राजसहायता	शत प्रतिशत	आवश्यकतानुसार
		2. नये उद्यानों की स्थापना हेतु पौध एवं निवेश वितरण	50%	रु0 30,000 प्रति है0
		3. पौध सुरक्षा हेतु कीट व्याधिनाशक रसायनों का वितरण	60%	रू0 5,000 प्रति है0 तक
		4. कुरमुला कीट नियन्त्रण	60%	रू0 1,800 प्रति है0 तक
		5. औद्यानिक औजार वितरण	50%	रू0 1,200 प्रति यन्त्र तक
		6. सिंचाई हेतु 3X2X1.5 मीटर आकार का रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण	रु0 24,500 प्रति इकाई का 50%	रु0 12,250 प्रति टैंक
2	फल सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण की योजना	1. फल सब्जियों को बाजार में समुचित मूल्य दिलाने हेतु प्लास्टिक क्रेट्स, किल्टे, पैकिंग हेतु बाक्स उपलब्ध कराना आदि	50%	आवश्यकतानुसार
		2. फल व सब्जियों का प्रसंस्करण	लाभ–हानि रहित	सर्विस चार्ज – रू0 15 प्रति किग्रा0
		3. मिर्च उत्पादक (20 नाली में मिर्च उत्पादन करने वाले) को काली पॉलीथीन उपलब्ध कराना	50%	200 वर्गफीट उपयुक्त गेज की पॉलीथीन
		4. फल व सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु विभागीय फल संरक्षण केन्द्रों द्वारा 07 दिवसीय प्रशिक्षण	शतप्रतिशत	07 दिवसीय प्रशिक्षण पर रू0 350/प्रति प्रशिक्षणार्थी व्यय तथा अवशेष धनराशि रू0 700/ सीधे प्रशिक्षणार्थी के खाते में डाला जायेगा। (इस प्रकार कुल व्यय रू0 1,050 प्रति प्रशिक्षणार्थी)
3	प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास	1. उद्यान विकास–व्यक्तिगत उद्यानों की स्थापना हेतु पौध व निवेश वितरण	50%	प्रति लाभार्थी 0.2 है0 से 2.0 है0 तक अधिकतम रु0 30,000 प्रति है0
		2. आलू विकास/उत्पादन हेतु बीज व निवेश वितरण	50%	प्रति लाभार्थी 0.1 है0 से 1.0 है0 तक अधिकतम रु0 25,000 प्रति है0 मैदानी क्षेत्रों हेतु व रू0 40,000 प्रति है0 पर्वतीय क्षेत्रों हेतु सहायता

केन्द्रीय योजना – 1. बागवानी मिशन

क्र0 सं0	योजना	उद्देश्य	राज सहायता का विवरण	**अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये /संख्या/है0 में**
1.	पौधशाला की स्थापना	उच्च गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री का उत्पादन करने हेतु पौधशालाओं की स्थापना के लिये राज सहायता उपलब्ध कराना। 1. हाईटैक पौधशाला (2 से 4 है0 क्षेत्रफल) की स्थापना जिनका उत्पादन 50,000 पौध प्रति है0 प्रतिवर्ष होगा 2. छोटी पौधशाला (01 है0 क्षेत्रफल) की स्थापना जिनका उत्पादन 25,000 पौध प्रति है0 प्रतिवर्ष होगा	1. रू0 25.00 लाख प्रति है0 (राजकीय हेतु 100% एवं व्यक्तिगत हेतु 40%) 2. रू0 15.00 लाख प्रति है0 (राजकीय हेतु 100% एवं व्यक्तिगत हेतु 50%). ऋण अनिवार्य	रू0 100.00 लाख रू0 15.00 लाख
2.	सब्जी एवं मसाला बीज उत्पादन	गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन करने हेतु राज सहायता उपलब्ध कराना। 1. ओपन पॉलीनेटिड फसल 2. हाईब्रिड बीज	(राजकीय हेतु 100% एवं व्यक्तिगत हेतु 50%) 1. रू0 35,000 प्रति है0 2. रू0 1.50 लाख प्रति है0	
3.	नये उद्यानों की स्थापना			
अ	i. फल क्षेत्रफल विस्तार (सामान्य)	नये उद्यानों की स्थापना कर, उत्पादन में वृद्वि करना। 1. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित 2. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित	(कुल लागत का 50% राज सहायता 3 वर्षो में 60:20:20) 1. रू0 50,000 प्रति है0 2. रू0 30,000 प्रति है0	4 है0
	ii. फल क्षेत्रफल विस्तार (सघन)	नये उद्यानों की स्थापना कर, उत्पादन में वृद्वि करना। 1. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित 2. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित	(कुल लागत का 50% राज सहायता 3 वर्षो में 60:20:20) 1. रू0 75,000 प्रति है0 2. रू0 50,000 प्रति है0	
	iii. फल क्षेत्रफल विस्तार (अति सघन)	नये उद्यानों की स्थापना कर, उत्पादन में वृद्वि करना। 1. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित 2. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित	(कुल लागत का 50% राज सहायता 3 वर्षो में 60:20:20) 1. रू0 1,00,000 प्रति है0 2. रू0 62,500 प्रति है0	
ब	सब्जी क्षेत्रफल विस्तार	कृषकों को सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु संकर प्रजाति की सब्जी बीज उपलब्ध कराकर, क्षेत्रफल विस्तार कराना।	50 प्रतिशत अर्थात रू0 25,000/–प्रति है0	2 है0
स	मसाला क्षेत्र विस्तार	कृषकों को मसाला उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मसाला बीज एवं कन्द उपलब्ध कराकर, क्षेत्रफल विस्तार कराना।	40 प्रतिशत अर्थात रू0 12,000/–प्रति है0	4 है0
द	पुष्प क्षेत्र विस्तार	कृषकों को पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु पुष्प रोपण सामग्री उपलब्ध कराकर, क्षेत्रफल विस्तार कराना। 1. खुले पुष्प 2. डंडीयुक्त पुष्प 3. बल्बयुक्त पुष्प	(कुल लागत का 50% राज सहायता) 1. रू0 20,000/– प्रति है0 2. रू0 50,000/– प्रति है0 3. रू0 75,000/– प्रति है0	2 है0

क्र0 सं0	योजना	उद्देश्य	राज सहायता का विवरण	**अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये /संख्या/है0 में**
य	मशरूम उत्पादन	मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देकर, कृषकों की आय में वृद्वि करना। 1. मशरूम उत्पादन इकाई की स्थापना की लागत 2. कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना की लागत 3. स्पॉन उत्पादन इकाई की स्थापना की लागत	(कुल लागत का राजकीय क्षेत्र हेतु 100% एवं व्यक्तिगत क्षेत्र हेतु 40% राज सहायता देय है) 1. रू0 20.00 लाख प्रति इकाई 2. रू0 20.00 लाख प्रति इकाई 3. रू0 15.00 लाख प्रति इकाई	01 इकाई
4.	पुराने उद्यानों का जीर्णोद्वार	पुराने अनुत्पादक उद्यानों का जीर्णोद्वार उत्पादन में वृद्वि करना।	50 प्रतिशत अथवा रू0 20,000/– प्रति है0	02 है0
5.	जल प्रबन्धन व्यवस्था			
अ	ट्यूबवेल स्थापना/पौण्ड निर्माण	सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु कृषकों को नये ट्यूबवैल की स्थापना हेतु राज सहायता प्रदान करना।	50 प्रतिशत अथवा रू0 90,000/– प्रति इकाई	1 नग
6	संरक्षित खेती			
अ	ग्रीन हाउस निर्माण	संरक्षित वातावरण में सब्जी एवं पुष्पों की बागवानी को प्रोत्साहित करने हेतु राज सहायता प्रदान करना। विभिन्न फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती करने हेतु फेन एण्ड पैड सिस्टम पालीहाउस	कुल लागत का 50 प्रतिशत 500 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹1650.00/– प्रति वर्ग मीटर 500 से 1008 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹1465/ प्रति वर्ग मीटर 1008 से 2080 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹1420.00/ प्रति वर्ग मीटर 2080 से 4000 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹1400.00/ प्रति वर्ग मीटर (पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 15% अतिरिक्त)	4000 वर्ग मीटर
		विभिन्न फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती करने हेतु ट्यूबलर स्ट्रक्चर पालीहाउस	कुल लागत का 50 प्रतिशत 500 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹1060.00/– प्रति वर्ग मीटर 500 से 1008 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹935.00/ प्रति वर्ग मीटर 1008 से 2080 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹890.00/ प्रति वर्ग मीटर 2080 से 4000 वर्गमीटर तक – कुल लागत ₹844.00/ प्रति वर्ग मीटर (पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 15% अतिरिक्त)	

क्र0 सं0	योजना	उद्देश्य	राज सहायता का विवरण	**अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये /संख्या/है0 में**
ब	शैड नेट हाउस	ट्यूबलर बनावट, प्रकाष्ठ संरचना एवं बॉक्स की संरचना पर राज सहायता प्रदान करना। J ट्यूबलर स्ट्रक्चर, J लकड़ी का ढॉचा J बॉस का ढॉचा	कुल लागत का 50 प्रतिशत (पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 15% अतिरिक्त) J ₹710 प्रति वर्गमी0 का 50% J ₹492 प्रति वर्गमी0 का 50% J ₹360 प्रति वर्गमी0 का 50%	4000 वर्ग मीटर
स	एन्टी हेल नेट	फलों एवं सब्जी फसलों की ओलों की सुरक्षा हेतु एन्टी हेल नेट पर राज सहायता उपलब्ध कराना।	50 प्रतिशत या अधिकतक रू0 17.50/– प्रति वर्गमी	5000 वर्ग मीटर
द.	प्लास्टिक मल्चिंग	नमी को रोकने एवं प्रकाश संश्लेषण को बढावा देने हेतु जमीन को प्लास्टिक सीट से ढकना	₹32,000 प्रति है0 का 50 प्रतिशत (पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 15% अतिरिक्त)	02 है0
य	संरक्षित खेती के लिये रोपण की व्यवस्था	सब्जी पौध	₹140 प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत	
		J पुष्प (आर्किड, एन्थोरियम) J पुष्प (कारनेशन, जरबेरा) J पुष्प (गुलाब)	J ₹700 प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत J ₹610 प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत J ₹426 प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत	4000 वर्ग मीटर
7.	मौनपालन	फलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए परपरागण एवं शहद उत्पादन हेतु मौनवंश व मौन कॉलोनी पर राज सहायता प्रदान करना।	कुल लागत का 40% या अधिकतम रू0 800/प्रति मौनवंश व प्रति मौन कॉलोनी	50 कॉलोनी
8.	औद्यानिक यन्त्रीकरण	विभिन्न औद्यानिक मशीनों/पॉवर टिलर/ट्रैक्टर/ औद्यानिकी हेतु स्वचालित मशीन आदि हेतु राज सहायता प्रदान करना		
		ट्रैक्टर (20 पी0टी0ओ0 एच0पी0 तक)	₹3,00,000 प्रति इकाई का 35% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु तथा 25% सामान्य लाभार्थियों हेतु	1 इकाई
		पॉवर टिलर (8 बी0एच0पी0 तक)	₹1,00,000 प्रति इकाई का 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु तथा 40% सामान्य लाभार्थियों हेतु	
		पॉवर टिलर (8 बी0एच0पी0 से अधिक)	₹1,50,000 प्रति इकाई का 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु तथा 40% सामान्य लाभार्थियों हेतु	
		भूमि सुधारीकरण, जुताई व बीजाई हेतु क्यारी तैयारी हेतु आवश्यक उपकरण एवं बुआई, कटाई व खुदाई हेतु उपकरण	₹30,000 प्रति इकाई का 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु तथा 40% सामान्य लाभार्थियों हेतु	
		औद्यानिकी हेतु स्वचालित मशीन	₹2,50,000 प्रति इकाई का 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु तथा 40% सामान्य लाभार्थियों हेतु	1 इकाई

क्र0 सं0	योजना	उद्देश्य	राज सहायता का विवरण	**अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये /संख्या/है0 में**
9.	तकनीकी प्रसार हेतु प्रदर्शन	औद्यानिकी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी का प्रदर्शन के माध्यम से प्रसार करना।	रू0 25.00 लाख (राजकीय प्रक्षेत्रों हेतु 100% एवं व्यक्तिगत हेतु 75%)	
10.	मानव संसाधन विकास			
अ	प्रशिक्षण	नवीनतम तकनीकी ज्ञान हेतु कृषक/महिलाओं का राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रम	राज्य के अन्दर – ₹1,000/दिन/प्रशिक्षणार्थी (यात्रा देयक सहित) राज्य के बाहर– प्रस्ताव के अनुसार	
ब	भ्रमण	नवीनतम तकनीकी ज्ञान हेतु कृषक/महिलाओं का राज्य के बाहर भ्रमण कार्यक्रम	प्रस्ताव के अनुसार	
11.	तुडाई उपरान्त प्रबन्धन हेतु	पैक हाउस (9 मी0 X 6 मी0)	कुल लागत ₹4.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात ₹2.00 लाख प्रति लाभार्थी	01 इकाई
		प्री कूलिंग इकाई (6 मै0टन क्षमता)	कुल लागत ₹25.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
		मोबाइल प्री कूलिंग इकाई (5 मै0टन क्षमता)	कुल लागत ₹25.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
		कोल्ड रूम (30 मै0टन क्षमता)	कुल लागत ₹15.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
		कोल्ड स्टोरेज यूनिट J बेसिक टाईप – सिंगल टैम्परेचर जोन (5,000 मै0टन तक) J मल्टीपल टैम्परेचर जोन (5,000 मै0टन तक) J कन्ट्रोल्ड एटमोस्फेयर स्टोरेज (5,000 मै0टन तक)	(ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी) J कुल लागत ₹8000/ प्रति मै0टन का का 50% पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35% सामान्य क्षेत्रो हेतु J कुल लागत ₹10,000/ प्रति मै0टन का 50% पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35% सामान्य क्षेत्रो हेतु J कुल लागत ₹20,000/ प्रति मै0टन का 50% पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35% सामान्य क्षेत्रो हेतु	
		रेफरवेन/कन्टेनर (6 मै0टन क्षमता)	कुल लागत ₹26.00 लाख प्रति यूनिट का 50% पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35% सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
		प्राइमरी/मोबाईल प्रोसेगिंग यूनिट	कुल लागत ₹25.00 लाख प्रति यूनिट का 55% पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 40% सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	

क्र0 सं0	योजना	उद्देश्य	राज सहायता का विवरण	**अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये /संख्या/है0 में**
		राईपनिंग चैम्बर (300 मै0टन क्षमता)	कुल लागत ₹1.00 लाख प्रति मै0टन का 50% पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35% सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	1 इकाई
		ईवोपोरेटिव/लो एनर्जी कूल चैम्बर	कुल लागत ₹5.00 लाख प्रति यूनिट का 50% अर्थात ₹2.00 लाख प्रति लाभार्थी	
		कम लागत वाली संरक्षण (प्रीजरवेशन) इकाई की स्थापना	कुल लागत ₹2.00 लाख प्रति यूनिट का 50% अर्थात ₹1.00 लाख प्रति लाभार्थी	
		कम लागत वाली प्याज स्टोरेज स्ट्रकचर (25 मै0टन)	कुल लागत ₹1.75 लाख प्रति यूनिट का 50% अर्थात ₹0.875 लाख प्रति लाभार्थी	
		पूसा जीरो एनर्जी कूल चैम्बर (100 किग्रा0)	कुल लागत ₹4,000/ प्रति यूनिट का 50% अर्थात ₹2,000/ प्रति लाभार्थी	
		इन्टीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन प्रोडक्शन एण्ड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेन्ट ऑफ हार्टिकल्चर क्राप्स	कुल लागत ₹600.00 लाख का 50% पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35% सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
12.	विपणन हेतु	टर्मिनल मार्केट	₹150.00 करोड़ प्रति यूनिट का 25 से 40% (परियोजना आधारित)	1 इकाई
		होलसेल मार्केट	₹100.00 करोड़ प्रति यूनिट का 33.33% पर्वतीय/ अनुसूचित क्षेत्रों एवं 25% सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
		अपनी मण्डी/रूरल मार्केट की स्थापना	₹25.00 लाख प्रति यूनिट का 55 प्रतिशत पर्वतीय/ अनुसूचित क्षेत्रों एवं 40 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
		रिटेल मार्केट/आउटलेट	₹15.00 लाख प्रति यूनिट का 50% पर्वतीय/ अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35% सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
		स्टेटिक मोबाईल बेडिंग कार्ड/प्लेटफार्म (कूल चैम्बर सहित)	₹30,000/प्रति यूनिट का 50% अर्थात ₹15,000 प्रति लाभार्थी	
		फक्शनल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर J कलैक्शन, सोर्टिंग, ग्रेडिंग आदि	₹15.00 लाख प्रति यूनिट का 55% पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 40% सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
		J क्वालीटी कन्ट्रोल/एनालिसिस लैब	पब्लिक सैक्टर के लिये ₹200.00 लाख प्रति यूनिट का 100% अर्थात ₹200.00 लाख प्रति लाभार्थी प्राइवेट सैक्टर के लिये ₹200.00 लाख प्रति यूनिट का 50% अर्थात ₹100.00 लाख प्रति लाभार्थी (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	1 इकाई

क्र0 सं0	योजना	उद्देश्य	राज सहायता का विवरण	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये /संख्या/है0 में
		रोपवे (ग्रेविटी बेस्ड)	₹15.00 लाख प्रति किमी0 का 50% पर्वतीय क्षेत्रो हेतु ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी	
13.	खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य वृद्वि प्रबन्धन	नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई	रू0 800.00 लाख प्रति यूनिट का 50% अर्थात रू0 400.00 लाख प्रति लाभार्थी	1 इकाई

केन्द्रीय योजना – 2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत **Per Drop More Crop** योजना

क्र0 सं0	योजना	उद्देश्य	प्रति है0 अनुमन्य लागत	देय राजसहायता का प्रतिशत		अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी
				सामान्य कृषकों हेतु	लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु	
1.	**क्षेत्र विस्तार**					
अ.	टपक (ड्रिप) सिंचाईं	पौधों की आवश्यकतानुसार जल एवं खाद का वितरण उनकी जड़ों तक पहुचाते हुए कम समय में अधिकतम क्षेत्र की सिंचाईं खरपतवार नियन्त्रण एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं पैदावार में वृद्धि करना।	रू0 27158 से रू0 158489 तक (पौध से पौध की दूरी के अनुसार)	45	55	5 हेक्टेयर
ब.	पोर्टेबल स्प्रिंकलर		रू0 24427.50 से रू0 27376.25 तक (63 मिमी. से 90 मिमी. तक)	45	55	5 हेक्टेयर
स.	माइक्रो स्प्रिंकलर		रू0 73665 से रू0 84026 तक (पौध से पौध की दूरी के अनुसार)	45	55	5 हेक्टेयर
द.	मिनी स्प्रिंकलर		रू0 106515 से रू0 117535 तक (पौध से पौध की दूरी के अनुसार)	45	55	5 हेक्टेयर
य.	रेनगन		रू0 35851 से रू0 43141 तक (63 मिमी. से 90 मिमी. तक)	45	55	5 हेक्टेयर

परिकल्पना
डा0 बी0एस0 नेगी,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

संकलन एवं सम्पादन
श्री महेन्द्र पाल, शोध अधिकारी, उद्यान
डा0 सुरभि पाण्डे, समन्वयक

*****